

कार्यालय वन संरक्षक, अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़।

कृषि वानिकी चेतना केन्द्र, अनूपशहर रोड, छेरत, अलीगढ़, पिन-202001 * ई-मेल: cfaligarh@gmail.com

पत्रांक /१३९ / 14-1, दिनांक: अलीगढ़: नवम्बर १५, 2016

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

विषय: हाथरस में पीलीभीत-भरतपुर मार्ग (एस0एच0-33) किमी0 219 से 220 में मध्य बॉ यी पटरी पर ग्राम-हाथरस देहात के खसरा संख्या-176 में एस्सार ऑयल लिलो द्वारा विकसित किये जा रहे रिटेल आउटलेट के सम्पर्क निर्माण हेतु 0.02775 हेतु संरक्षित वन भूमि का बिना वृक्ष पातन के गैरवानिकी प्रयोग की अनुमति।


संन्दर्भ: महोदय,
आपका पत्रांक 728 / हाथरस / 18288 / 2015 / यू०पी०-१३३, दिनांक 04.10.2016

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र द्वारा हाथरस में पीलीभीत-भरतपुर मार्ग (एस0एच0-33) किमी0 219 से 220 में मध्य बॉ यी पटरी पर ग्राम-हाथरस देहात के खसरा संख्या-176 में एस्सार ऑयल लिलो द्वारा विकसित किये जा रहे रिटेल आउटलेट के सम्पर्क निर्माण हेतु 0.02775 हेतु संरक्षित वन भूमि का बिना वृक्ष पातन के गैरवानिकी प्रयोग की अनुमति के प्रस्ताव में लगाई गई आपत्तियों का निराकरण कर प्रस्ताव प्रभागीय वनाधिकारी, हाथरस वन प्रभाग, हाथरस के कार्यालय पत्रांक 1162 / 35-3, दिनांक 05.11.2016 द्वारा इस कार्यालय को उपलब्ध कराया गया है। आपत्तियों पर आख्या निर्धारित प्रारूप में निम्न प्रकार प्रेषित है—

S.R.	Observation of GOI	Reply
1	बिन्दु-1 के कम में ऑनलाइन पार्ट-1 के बिन्दु-1(9) में क्षेत्रफल संशोधित आवश्यक है। यदि संशोधन नहीं हो पा रहा है, तो इस हेतु प्रयोक्ता एजेंसी पृथक से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करें, ताकि अग्रिम कार्यवाही सम्भव हो सके।	बिन्दु-1 के कम में ऑनलाइन पार्ट-1 के बिन्दु-1(9) में क्षेत्रफल प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा संशोधित कर दिया गया है। (संलग्नक-1)
2	ऑनलाइन पार्ट-1 के बिन्दु-ई-2 एवं 3 पर अंकित सूचना, पृष्ठ-1 पर 1(च) पर अंकित सूचना से भिन्न है।	ऑनलाइन पार्ट-1 के बिन्दु-ई-2 एवं 3 पर अंकित सूचना, पृष्ठ-1 पर 1(च) पर अंकित सूचना प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा संशोधित कर दी गयी है (संलग्नक-1)।
3	क्षतिपूरक वनीकरण हेतु चयनित स्थल का उपयुक्तता प्रमाण-पत्र निर्धारित प्रारूप में नहीं है। निर्धारित प्रारूप में उपयुक्तता प्रमाण पत्र संलग्न करें।	क्षतिपूरक वनीकरण हेतु चयनित स्थल का उपयुक्तता प्रमाण-पत्र निर्धारित प्रारूप में संलग्न है। (संलग्नक-2)

संलग्नक—उपरोक्तानुसार।


भवदीय,


(बी० प्रभाकर)

वन संरक्षक,
अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़।

पत्रांक 1३९ / 14-1, समिति कित।

प्रतिलिपि—प्रभागीय वनाधिकारी, हाथरस वन प्रभाग, हाथरस को पत्रांक 1162 / 35-3, दिनांक 05.11.2016 के कम में सूचनार्थ प्रेषित।


(बी० प्रभाकर)
वन संरक्षक,
अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़।